

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

..... बनाम

 किस्म मुकदमा नं. 69 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
9-2-22	<p>इफ्तखारि फेवली दिने पर पत्रावली आग पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपरिभत/ कोष अत्रार्थी सं. 1/1 की वली पूर्व आदेशाद्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 16-2-2022 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>
16-2-2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फादर/ उप./ अत्रार्थी सं. 1/1 पीठासीन अधिकारी वारे/ अन्य सं. से व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21-2-2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>
21-2-22	<p>वकूलाय उभय पक्षकारान् उपरिभत/ कोष अत्रार्थी सं. 1/1 की वली पूर्व आदेशाद्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 4-3-2022 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>
04.03.2022	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपरिभत/ प्रकरण से सम्बन्धित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजकारण काश्तकारी अधिनियम 1955 का आदेश स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से निर्णित किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र स्थगन को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में पत्र स्थगन को इसी स्तर पर फौजदारी स्वरिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर एड नकनील शिखिल दफतर है।</p> <p style="text-align: right;">(दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>